	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/6/25	* पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 2(क) प्रस्तुत हुई। अप्रार्थीया नेत्रकंवर द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि सीनीयर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 2(क) के प्रावधानों में सन्तानों की परिभाषा में बहु सम्मिलित नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 2(क) के अन्तर्गत पुत्रवधु सन्तानों की श्रेणी में न आने के कारण परिवाद को खारिज किया जावे।	
	* प्रार्थीया द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि धारा 2(क) में बालक को परिभाषित कर पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री है किन्तु इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं है। अर्थात उक्त धारा में अवयस्क को सम्मिलित करने से वंचित किया गया है। जबकि उक्त अधिनियम में पुत्र, पुत्री, पौत्र व पौत्री के इनलॉज को अधिनियम से बाहर होने का कहीं भी स्पष्ट कथन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	आलीन नहीं किया गया है। जिस कारण पुत्र की पत्नी पुत्रवधू भी जो कि सीनियर सीटीजन के मकान में निवास कर रही है को भी उक्त अधिनियम में शामिल माना जावेगा। अधिनियम की धारा 4(4) में भी वरीष्ठ नागरिक के नातेदार जो कि उनकी सम्पत्ति में निवासरत हैं या हित रखते हैं, उन नातेदारों का विस्तार कर उक्त अधिनियम में उन सभी नातेदारों को भी उक्त धारा में शामिल किया गया है। अनावेदक द्वारा जान बूझकर अविधिक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे खारिज किया जावे। * प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। * विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा ~~कथ~~ प्रार्थनापत्र के कथनों का दोहराव कर बम्बई उच्च न्यायालय का रिट याचिका संख्या 3323/2019 का निर्णय 6/5/22 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुत्रवधू को धारा 2(ङ)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
के तहत सन्तान की श्रेणी में नहीं आता है.	
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि पुत्र वधु, पुत्र के कुटुम्ब पर ही मकान में निवास कर रही है। यदि वह अपने आप को सन्तान नहीं मानती, तो मकान में किस आधार पर निवास कर रही है।	
* हमने पत्रावली व संलग्न अभिलेखों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया।	
* हमने प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से भी सहसम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुत्रवधु को बेदखल करने के आदेश को यथावत रखा है.	
* उक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है, कि अप्रार्थी हस्तगत मकान में प्रार्थी के पुत्र की पत्नी होने के आधार पर ही निवास कर रही है, ~~[illegible]~~ अतः अप्रार्थी को पुत्र की सीमा से बाहर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नहीं माना जा सकता।

* उक्त परिस्थितियों में इस अभार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

* अतः अभार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

* पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थनापत्र दिनांक 20/6/25 को पेश हो।

12/5/25